

12/05/22

पञ्जाबली पेसा हुई। आधिवक्ता  
वाडी उपदिवाल। आधिवक्ता  
वाडी में जाहर किमा कि वाडी  
को खत्म हुये एक वर्ष हो  
गया है। वाडी के विधिक  
वारिसान उसके सम्पत्ति में नहीं हैं।  
इसलिए वाडी के बाद पत्र में  
कागे पैरवी किमा जाना संभव  
नहीं है।

अतः वाडी का बाद पत्र अधिम  
होजरी अधिम पैरवी में खारिज  
किमा जाता है। मिसल दुर्ज  
नम्बर से कम होकर बाखिल  
दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी, खेत

